



2026:AHC:180929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8772 सन् 2026

कृष्णा चन्द्रा एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

: प्रमोद कुमार सिंह, त्रिपाठी बी.जी.भाई

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

(क्रम संख्या कुल 506 में से 209)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची पुनः पुकारी गई।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपाठी बी.जी.भाई तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध अंतर्वस्तु का भी अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आपराधिक प्रकरण संख्या 2051 सन् 2021, प्रथम सूचना रिपोर्ट/मुकदमा अपराध संख्या 0006 सन् 2021, भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी के अंतर्गत, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थ नगर के संबंध में संरक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. यह आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत की गई द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 438 सीआरपीसी संख्या 3951 सन् 2021 में पारित दिनांक 24.2.2021 के आदेश द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक की ओर से तर्क:

5. नए आधार के रूप में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि सह-अभियुक्तगण सुश्री नीतू गुप्ता तथा रवि गुप्ता को इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2471 सन् 2026 में पारित दिनांक 17.4.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है, अतः, आवेदकगण भी समता के आधार पर अग्रिम जमानत के हकदार हैं।

6. अंतिम रिपोर्ट (आरोप पत्र) दिनांक 10.5.2021 को दाखिल की गई थी तथा आवेदक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। विचारण में सहयोग न करने में उसका कोई दोष नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। यदि आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

विपक्षी/राज्य की ओर से तर्क:

7. अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया गया है।

निष्कर्ष:

8. न्यायालय की प्रक्रिया से बचने में अभियुक्तगण का आचरण, जिसके परिणामस्वरूप लगभग पांच वर्ष तक विचारण में विलंब हुआ, विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय सहित कई अन्य न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जो अभियुक्त स्वयं को छिपाकर बाधाएं उत्पन्न करता है तथा विधि के प्राधिकार के समन की अवहेलना करता है, वह अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार से वंचित हो जाता है। यहां के अभियुक्तगण अनुतोष प्राप्त करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए थे तथा वहां असफल रहे, अतः, उनके बार-बार के प्रयास फोरम शॉपिंग के समान हैं।

9. *करतारे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1976) 1 एससीसी 172* में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि विधि की दृष्टि में 'फरार' होने हेतु, यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने घर से भाग गया हो, यह पर्याप्त है यदि वह विधि की प्रक्रिया से बचने हेतु स्वयं को छिपाता है, भले ही छिपने का स्थान उसका स्वयं का घर ही क्यों न हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि आवेदक ने अग्रिम जमानत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। आवेदक ने एसएलपी आपराधिक संख्या 5630/2021 दाखिल करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन को उठाया था तथा वही दिनांक 19.8.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, अतः, आवेदक ने प्रावधान का दुरुपयोग किया है, क्योंकि वह टालमटोल कर रहा है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी निवेदनों तथा मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं इसे आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक उपयुक्त मामला नहीं पाता क्योंकि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क नियमित जमानत आवेदन से संबंधित हैं तथा इस स्तर पर धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत नहीं उठाए जा सकते।

12. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदकगण कृष्णा चन्द्रा तथा हरिश्याम का वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है तथा तदनुसार, निरस्त किया जाता है।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

शालिनी